उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर
कार्यालय दूरभाष सं0– 06344–227067
मो0 नं0 – 8544429975
E-mail : dyeo.munger@yahoo.co.in

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर
कार्यालय दूरभाष सं0– 06344–222402
आवासीय दूरभाष सं0– 06344–222401
E-mail: dm-munger.bih@nic.in

आदेश

लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के क्रम में चुनाव प्रचार हेतु अभ्यर्थी, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के समर्थकों द्वारा पोस्टर, पम्फलेट इत्यादि का मुद्रण जिला के विभिन्न प्रेस में किया जना है। निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1203. दिनांक 07.03.2019 द्वारा चुनाव प्रचार हेतु पम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन संबंधी मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–127A के प्रावधानों के अनुपालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या–3/9(ES008)/94–JS II दिनांक 02.09.1994 के माध्यम से पम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन संबंधी मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं। उक्त प्रावधान निम्नवत है :–

{127क} पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन :–

(1) कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ट पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करायेगा।

(2) **कोई भी व्यक्ति निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को :–**

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक के अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो स्वयं उसे जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है तथा–

(ख) उस दशा में सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित –

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला दण्डाधिकारी को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) **इस धारा के प्रयोजनों के लिए :–**

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियाँ बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और "मुद्रक" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा; तथा –

(ख) **"निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर"** से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या दस्तावेज या निर्वाचन की प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और विशिष्टयों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या कार्यकत्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उप धारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो ₹2000/– तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया था कि निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया में खासकर समाचार–पत्रों में, कतिपय राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के पक्ष–विपक्ष में Surrogate विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं। अनेक मामलों मे से Surrogate विज्ञापन किसी अभ्यर्थी विशेष का निर्वाचन अग्रसर करने के लिए किये जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अन्तर्गत ऐसे सारे व्यय संबंधित अभ्यर्थी के लेखा मे जोड़े जाने हैं और उक्त धारा 77(1) के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का जो लेखा संधारित किया जाना है, उसमें इनकी प्रविष्टि की जानी है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है भारतीय दण्ड विधान की धारा 171(ज) के अन्तर्गत निर्वाचन के सिलसिले में अवैध सदाय भी दण्डीय है। भारतीय दण्ड विधान की धारा 171(ज) की धारा निम्नवत :–

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ज) :– निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय– जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य ढ़ंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो ₹500/– (पाँच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किये हो, जो कुल मिलाकर ₹10/– से अधिक न हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किये गये हो, 10 (दस) दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर लें, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए है।

चूंकि Surrogate विज्ञापन उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के उद्देश्य को विफल करने वाले होते है, अतः आयोग ने संबंधित वैधिक प्रावधानों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह निदेश दिया था कि निर्वाचन अवधि के दौरान किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के पक्ष–विपक्ष में प्रकाशित होने वाले किसी विज्ञापन/चुनाव सामग्री के साथ उसके प्रकाशक का नाम एक पता अवश्य दिया जाना चाहिए।

2. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक–03/09/2007/जे0एस0–II दिनांक 16.10.2007 द्वारा पुनः अनुदेश निर्गत किये गये कि प्रिंट मीडिया, विशेष कर समाचार पत्रों में कतिपय राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के पक्ष–विपक्ष में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में रखे जाय :–

(क) ऐसे विज्ञापन जिनसे स्त्रोत ज्ञात हो सके, के मामले में निम्नलिखित कार्यवाही की जाये :–

(I) यदि संबंधित विज्ञापन अभ्यर्थी की जानकारी या सहमति के साथ निर्गत किया गया हो तब यह संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया माना जायेगा और तब इस पर होने वाला व्यय संबंधित अभ्यर्थी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा।

(II) यदि संबंधित विज्ञापन अभ्यर्थी के प्राधिकार बिना निर्गत किया गया तब इसके प्रकाशक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ज) के अन्तर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी (अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना निर्वाचन सिलसिले में अवैध संदाय)

(ख) यदि विज्ञापन में उसके प्रकाशक की पहचान इंगित नहीं की गई है तब संबंधित समाचार पत्र के संपादक से संपर्क कर विज्ञापन दाता की पहचान एवं विवरण ज्ञात किये जाने होंगें और इसके उपरांत उपर वर्णित रीति से उचित कार्रवाई की जानी होगी।

भारत निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन जिला में अवस्थित सभी समाचार पत्रों/मुद्रणालयों/राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। मुंगेर जिलान्तर्गत लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 हेतु गठित MCMC टीम द्वारा आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं किसी प्रकार का मामला प्रकाश मं आने पर अपेक्षित कार्रवाई ससमय की जायेगी।

– ह0 –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक : 474 /नि0, दिनांक : 12/03/2019

प्रतिलिपि : सभी समाचार पत्रों के स्थानीय संपादक एवं मुद्रणालयों के प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष/सचिव एवं निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सदस्य सचिव, MCMC –सह– जिला सूचना एवं संपर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग/प्रेक्षक कोषांग/प्रशिक्षण कोषांग/आदर्श आचार संहिता कोषांग/ मीडिया कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।